राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम अनुभाग)

क्रमांकः 1(8) वित्त/साविलेनि) /2011 — जयपुर, दिनांकः 05.03.2013

परिपत्र संख्या : 07/2013

परिपत्र

जैसा कि आपको विदित है राजस्थान राजपत्र में जारी अधिसूचना दिनांक 24.01.2013 द्वारा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 (Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012) एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 (Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules, 2013) राज्य में दिनांक 26.01.2013 से प्रभावी हो गये है। समस्त उपापन संस्थाएँ (Procurement Entities) जिसमें राज्य सरकार के समस्त विभाग, सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन कोई भी राज्य पब्लिक सेक्टर उद्यम, संविधान द्वारा स्थापित या गठित कोई भी निकाय जिसके व्यय की पूर्ति राज्य की समेकित निधि से की जाती है, राज्य विधान मण्डल के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित या गठित कोई निकाय या बोर्ड या निगम या प्राधिकरण या सोसायटी या न्यास या स्वायत्त निकाय या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन कोई निकाय, सम्मिलित है, के द्वारा सामग्री, सेवा, संकर्म (Works) के उपापन (Procurement) के मामलों में उक्त अधिनियम एवं नियमों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।

उक्त अधिनियम की धारा 50 के अन्तर्गत राज्य उपापन सुविधा प्रकोष्ठ (State Procurement Facilitation Cell) का गठन किया जा चुका है। उक्त प्रकोष्ठ का नोडल अधिकारी संयुक्त सचिव, वित्त (जीएण्डटी) विभाग को बनाया गया है यदि उपापन संस्था उक्त अधिनियम एवं नियमों के संदर्भ में कोई जानकारी की अपेक्षा रखती है तो प्रशासनिक विभाग के माध्यम से प्रकरण राज्य उपापन सुविधा प्रकोष्ठ को प्रेषित किया जा सकता है।

प्रकोष्ठ कार्यालय कमरा नम्बर 308 एवं 309, वित्त भवन में है। अतः भविष्य में इस प्रकोष्ठ से संबंधित समस्त पत्राचार निम्न पते पर किये जावें—

स्टेट उपापन सुविधा प्रकोष्ठ
(State Procurement Facilitation Cell)
कमरा नम्बर, 308
वित्त भवन, जनपथ,
जयपुर।

(उर्मिला जोशी)
संयुक्त सचिव

GFRRULES

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ, आवश्यक कार्यवाही एवं अपने अधिनस्थ कार्यालयों को सूचित करने हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, राज्यपाल / मुख्यमंत्री / समस्त मंत्रीगण / राज्य मंत्रीगण ।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव / समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव / समस्त प्रमुख शासन सचिव / समस्त शासन सचिव / समस्त विशिष्ट शासन सचिव।
3. सचिव, राजस्थान विधान सभा, राजस्थान, जयपुर ।
4. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
5. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
6. समस्त उप शासन सचिव / सचिवालय के समस्त अनुभाग / विभाग।
7. प्रधान महालेखाकार (सिविल लेखा परीक्षा) राजस्थान, जयपुर ।
8. महालेखाकार (प्राप्ति एवं वाणिज्यिक लेखा परीक्षा) / (ए एण्ड ई) राजस्थान, जयपुर ।
9. समस्त विभागाध्यक्ष / जिला कलक्टर / संभागीय आयुक्त ।
10. वित्तीय सलाहकार, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज. जयपुर।
11. समस्त कोषाधिकारी।
12. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर / जयपुर ।
13. निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
14. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग(कोडीफिकेशन) अतिरिक्त प्रति सहित ।
15. पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर ।
16. विधि रचना संगठन।
17. सिस्टम एनालिस्ट, वित्त विभाग को भेजकर लेख है कि वित्त (समन्वय) विभाग के आदेश संख्या प.17 (1) वित्त (समन्वय) / 04 दिनांक 22.6.2004 के क्रम में इस परिपत्र को वित्त विभाग की वेबसाइट पर प्रकाशित करवाने की व्यवस्था करावें।

वरिष्ठ लेखाधिकारी